आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC)

Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana (AMSY)

AMSY NSTFDC की रियायती ऋण योजना है, जो केवल पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए है और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के जरिए आय देने वाली इकाइयां शुरू करने में मदद करती है।

क्या मिल सकता है

प्रति इकाई 2 लाख रुपये तक का ऋण, जिसमें NSTFDC इकाई लागत का 90 प्रतिशत तक सावधि ऋण देता है। प्रवर्तक का अंशदान जरूरी नहीं है। 1 लाख रुपये तक के ऋण पर लाभार्थी को 4 प्रतिशत ब्याज देना होता है। चुकौती मोहलत अवधि सहित अधिकतम 5 साल में तिमाही किस्तों में होती है।

किसके लिए है

पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जो आय देने वाली इकाई शुरू करना चाहती हैं और जिन्हें रियायती ऋण चाहिए।

मुख्य शर्तें

- यह योजना केवल पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए है।
- आपको NSTFDC के पात्रता मापदंड पूरे करने होंगे और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी की ऋण शर्तें माननी होंगी। व्यक्तियों के लिए सालाना पारिवारिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सहायता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं जहां उनकी जनजाति अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है।

आवेदन कैसे करें

1. मार्गदर्शन लेने और ऋण आवेदन जमा करने के लिए NSTFDC की अपने राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) के जिला कार्यालय जाएं।
2. ऋण आपकी इकाई की जरूरत के आधार पर तय होता है और SCA के जरिए दिया जाता है।
3. मोहलत अवधि सहित अधिकतम 5 साल में तिमाही किस्तों में चुकाएं। पुनर्वित्त के मामलों में बैंक की तय अवधि लागू होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://nstfdc.tribal.gov.in/frm_amsy.aspx
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/nstfdc-adivasi-mahila-sashaktikaran-yojana/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।